न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 120/2022
GCMS NO. : 2022/241

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.शांति पत्नी नारायण 2.नाथूलाल पुत्र नारायण 3.मोतीलाल पुत्र नारायण 4.कैलाश पुत्र नारायण 5.नौरतमल पुत्र नारायण जाति दमामी निवासी सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/07/2022

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 04/01/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.2914 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7851 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1253 रकबा 1.0684 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादीगण के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और 1/8 हिस्सा उपरोक्त आराजी मे निहित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें वर्तमान में वादीगण के पिता का नाम इन्द्राज है परन्तु उक्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम दधमत पुत्र छगना इन्द्राज है, जो कि एक गलत एन्ट्री है। जबकि वादीगण के पिता का सही नाम नारायण पुत्र छगना है। परन्तु गलती से वादीगण के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

का नाम नारायण पुत्र छगाना की जगह तत्कालीन आर. आई., पटवारी ने दधमत पुत्र छगाना इन्द्राज कर दिया, जो रोंग एन्ट्री चली आ रही है। वादीगण के समस्त दस्तावेजात, वादीगण के पिता के दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र मे वादीगण के पिता का नाम नारायण इन्द्राज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के पिता का नाम लिपिकीय त्रुटिवश नारायण पुत्र छगाना की जगह दधमत पुत्र छगाना इन्द्राज कर दिया। वादीगण के पिता फौत हो चुके है और वादीगण के पिता फौत हो जाने से और उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज होने से वादीगण के नाम फौतेदगी म्युटेशन इन्द्राज नहीं हो पा रहा है। इसलिए उक्त वादपत्र वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम के इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर उनके खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र पेश है। वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में कभी राजस्व रेकर्ड को ध्यान से नहीं देखा और न ही उन्होने कभी राजस्व रेकर्ड की जरुरत पडी और इस वजह से उनका गलत नाम चलता रहा। परन्तु जब वादीगण के पिता फौत हो गये तब वादीगण ने विधिक वारिसान के रूप मे उनके पिता नारायण की जगह अपना नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने हेतु तहसीलदार जैतारण को प्रार्थना-पत्र पेश किया तब दिनांक 02/02/2022 को तहसीलदार जैतारण ने वादीगण के नाम म्युटेशन भरने से मना कर दिया। तब वादीगण को प्रथम बार जानकारी हुई कि उनके पिता का नाम शुरू से ही राजस्व रेकर्ड मे दधमत पुत्र छगाना चला आ रहा है, जो कि एक रोग एन्ट्री है। इसलिए अब दधमत पुत्र छगाना को हटाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम नारायण पुत्र छगाना मानते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद दिनांक 02/02/2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी को प्रार्थनापत्र पेश कर उनके नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित करने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उनके पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज है इसलिए म्युटेशन पारित नहीं हो सकता और प्रतिवादी ने नाम दुरुस्ती बावत् इन्कार करने से बमुकाम सेवरिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादीगण का कथन असत्य है कि दधमत पुत्र छगाना रोंग एन्ट्री है। यह इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 597 द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठ हुआ है। वादीगण द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें इनके पिता/पति का नाम नारायणलाल अंकित है तथा राशनकार्ड में नारायण पुत्र छगाना अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प सेवरिया दिनांक 24.05.2023 में मजमा-ए-आम जाँच में वादीगण के पिता/पति का सही नाम नारायण पुत्र छगना बताया गया। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष माननीय न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को आपत्ति नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार उपस्थित मौत बिरान ने बताया कि वादीगण के पिता को गांव में दो नामों से जाना जाता था। गांव में बोलचाल की भाषा में दधमत कहते थे, परन्तु साक्ष्य दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम नारायण पुत्र छगना दर्ज है। वास्तव में दधमत पुत्र छगना व नारायण पुत्र छगना एक ही व्यक्ति है। दधमत पुत्र छगना नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव सेवरिया में निवास नहीं करता है। दधमत पुत्र छगना का वास्तविक नाम नारायण पुत्र छगना दर्ज किया जावे तो गांव में किसी को कोई ऐतराज नहीं है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादिया शांति पत्नी नारायण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गए, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादीगण द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया में खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.2914 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7851 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1253 रकबा 1.0684 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम दधमत पुत्र छगना की जगह नारायण पुत्र छगना संशोधित करते हुए इस आशय की घोषणा की जाए।
2. वादिया द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र P/W 01 प्रस्तुत किया। वादिया ने शपथ-पत्र में यह सशपथ कथन किया कि ''वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दधमत पुत्र छगना इन्द्राज है, जो रोन्ग एन्ट्री है। वादीगण के पिता का सही नाम नारायण पुत्र छगना है।''
3. वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत 2073-2076 (प्रदर्श-1,2), वादिया शांति देवी का आधार कार्ड (प्रदर्श-3ए), वादिया शांति देवी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र (प्रदर्श-4ए), वादीगण के राशन कार्ड की प्रति (प्रदर्श-5ए), वादीगण के पिता नारायण पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

छगनाराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रदर्श-6ए) एवं वादीगण नाथूलाल, मोती लाल, कैलाश पंवार के आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये गए। जमाबंदी में दधमत पुत्र छगना के नाम का इन्द्राज है एवं वादीगण के राशन कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र में नारायण पुत्र छगना के नाम की प्रविष्ठि है। साथ ही वादीगण के अन्य दस्तावेजों में पिता/पति के नाम की प्रविष्ठि में नारायणलाल दर्ज है।

4. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादीगण का कथन असत्य है कि दधमत पुत्र छगना रोंग एन्ट्री है। यह इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 597 द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठ हुआ है। वादीगण द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसमें इनके पिता/पति का नाम नारायणलाल अंकित है तथा राशनकार्ड में नारायण पुत्र छगना अंकित है। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प सेवरिया दिनांक 24.05.2023 में मजमा-ए-आम जॉंच में वादीगण के पिता/पति का सही नाम नारायण पुत्र छगना बताया गया। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष माननीय न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को आपत्ति नहीं है।

5. वादीगण द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता/पति का सही नाम नारायण पुत्र छगना है एवं तहसीलदार जैतारण की मौका फर्द अनुसार भी दधमत पुत्र छगना एवं नारायण पुत्र छगना एक ही व्यक्ति है एवं दधमत पुत्र छगना नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम सेवरिया में निवास नहीं करता है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ-पत्र एवं गवाह स्वयं वादिया शांति देवी पत्नी नारायण का शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.2914 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7851 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1253 रकबा 1.0684 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया के भू-अभिलेख में दर्ज वादीगण के पिता के नाम की प्रविष्टि दधमत पुत्र छगना के स्थान पर वादीगण के दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम नारायण पुत्र छगना है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'दधमत पुत्र छगना' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'नारायण पुत्र छगना' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.2914 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7851 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1253 रकबा 1.0684 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादीगण के पिता/पति का नाम ***दधमत पुत्र छगना*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'नारायण पुत्र छगना'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–ः वादीगण ः–	**बनाम**	**–ः प्रतिवादी ः–**
1.शांति पत्नी नारायण 2.नाथूलाल पुत्र नारायण 3.मोतीलाल पुत्र नारायण 4.कैलाश पुत्र नारायण 5.नौरतमल पुत्र नारायण जाति दमामी निवासी सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

मु0न0 :रा0वा0स0– 120/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.2914 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7851 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1253 रकबा 1.0684 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादीगण के पिता/पति का नाम ***दधमत पुत्र छगना*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'नारायण पुत्र छगना'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **04/01/2024** को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पीठासीन अधिकारी, सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

ुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	1.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	3.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested